वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल वि0वि0,
जौनपुर।

वेब साईट :www.vbspu.ac.in
ई–मेल : connectpuregistrar@gmail.com
दूरभाष : 05452–252244

पत्रांक : 1293/शैक्षणिक/2022 दिनांक– 1.10.2022

1 समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्राध्यापक
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2 समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर ।

विषय– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों को स्नातक (शोध सहित) स्नातकोत्तर एवं पी0एच–डी0 स्तर पर लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–401/सत्तर–3–2022 दिनांक 9 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को पुनर्संरचना करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमे पाठ्यक्रमों को सी0बी0सी0एस0 एवं सेमेस्टर प्रणाली में संचालित किया जाना है। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र को केवल एक माइनर इलैक्टिव पेंपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा, यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना का भी प्रावधान है। स्नातक स्तर पर सहविषयक पाठ्यक्रम (को– करिकुलर) परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर आयोजित होगी जिसमें 75 अंक की परीक्षा विश्वविद्यालय आयोजित करेगा एवं 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित होंगे। समस्त छः सहविषयक पाठ्यक्रम (को–करिकुलर) का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है जिसमें स्नातक में प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित एक सह– विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा, जिसका क्रम निम्न वत है–

प्रथम सेमेस्टर	खाद्य पोषण एवं स्वच्छता
द्वितीय सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
तृतीय सेमेस्टर	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
चतुर्थ सेमेस्टर	शारीरिक शिक्षा एवं योग
पंचम् सेमेस्टर	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस
षष्ठम् सेमेस्टर	संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास

अध्ययन परिषद द्वारा प्रस्तावित है कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर विषय की लिखित परीक्षा आयोजित होगी जिसका प्रश्न प्रारूप निम्नलिखित है–

खंण्ड (अ) अति लघु उत्तरीय प्रश्न–इस खण्ड में 10 प्रश्न होंगे तथा सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा 50 है। उदाहरण– 10×2=20

खंण्ड (ब) लघु उत्तरीय प्रश्न –इस खण्ड में 8 प्रश्न होंगें जिसमें से किन्हीं पांच प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है, जिस पर 7 अंक निर्धारित हैं। उदाहरण– 5×7=35

खंण्ड (स) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न –इस खण्ड में 4 प्रश्न होंगें जिसमें सें किन्ही दो प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। जिस पर 10 अंक निर्धारित रहेगा। उदाहरण– 2×10=20

अतः उपरोक्त एवं पाठ्यक्रमों तथा संलग्नक शासनादेश में दिये गए निर्देशानुसार पठन–पाठन सुनिश्चित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा वेबसाइट पर अपलोड किए गये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर यदि आपका कोई फीडबैक है तो उससे विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।

2– परीक्षा नियंत्रक।

3– प्रो0 मानस पांण्डेय, पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यदि कोई त्रुटि हो तो उससे तत्काल अवगत कराये, अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि समस्त पाठ्यक्रम मानक अनुसार है।

4– संयोजक, टेक्निकल सेल।

5– आशुलिपिक वित्त अधिकारी,वित्त अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।

6– वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

7– प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा को इस आशय से प्रेषित की एकल संकाय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों मे माइनर इलेक्टिव विषय के पठन–पाठन की व्यवस्था करेंगे।

8–प्रशासनिक अधिकारी गोपनीय को इस आशय से प्रेषित की प्रोजेक्ट वर्क/डिजरर्टेशन की मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश निर्मित कर महाविद्यालयों को सूचित करेंगे एवं प्रयोगात्मक विषय हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–401 / सत्तर–3–2022
लखनऊ : दिनॉक: 09 फरवरी, 2022

1– **कुलपति,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उल्लेख किया गया था कि सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2021–22 तथा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू होगा। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम 2021–22 में लागू कर दिए गए हैं।

2– पाठ्यक्रम पुनर्संरचना की राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव दिये गये हैं, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करके एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,

(**मोनिका एस. गर्ग**)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–401(1) सत्तर–3–2022–तद्दिनॉक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
3– प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ0प्र0।
4– डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु0मा0 कन्या पी0जी0 राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(**शमीम अहमद खान**)
सचिव।

संलग्नक

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी0सी0, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था जिसके बिन्दु संख्या–4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव/योजना प्रस्तुत है :–

क्षेत्र (Scope)-

- जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू नहीं होते जैसे कि एम0ए0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 इत्यादि, उनमें यह व्यवस्था लागू होगी।
- चिकित्सा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.), विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड.) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास–

- नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेगें। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।
- इस वर्ष मे प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।
- प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना–

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या व क्रेडिट इत्यादि, उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर एक तालिका में दी हुई है। सुलभ संदर्भ के लिए यह तालिका इस पत्र के अंत में भी अंकित है।
- स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी0बी0सी0एस0 एवं सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा।
- मुख्य विषय के चार थ्योरी के पेपर (पाँच क्रेडिट का एक) अथवा चार थ्योरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी चार चार क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे। एक वर्ष में 40 व दो वर्ष में 80 क्रेडिट होंगे।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें अधिकाधिक Optional पेपर्स हों।

  जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं। द्वितीय व तृतीय सेमेस्टरर्स में एक अथवा दो पेपर specialization पर आधारित optional पेपर्स में से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स specialization पर आधारित optional पेपर्स होना समुचित रहेगा।
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा।
- उपरोक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।

<u>स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना</u> (Research Project)

- उच्च शिक्षा के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) में विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में उसके द्वारा चुने गये मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना interdisciplinary/ multi-disciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट (चार घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Project Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC-CARE listed जर्नल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यॉकन (पूर्णांक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं । प्राप्तांक अधिकतम 100 ही होंगे ।
- शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण तथा उपस्थिति आदि के नियम उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 9 व 10 में दिये गये हैं।

पी0एच0डी0 कार्यक्रम

- पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसमें शोध परियोजना से पहले प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है।
- सभी विश्वविद्यालयों में प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में दो पेपर मुख्य विषय के 6–6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (including research ethics, plagiarism and computer applications) का होगा।
- उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum Passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड / CGPA होंगें।
- उपरोक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त, प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की BOS व Academic Council निर्धारित करेगी।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–69/सत्तर–1–2022 दिनांक 06–01–2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री.पी.एच.डी. कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ आनलाईन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवही करने को कहा है । इस सम्बंध में विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिये आनलाईन कोर्स वर्क का प्रारुप व नियम बना सकते हैं ।

Table - Year-wise Structure of UG/PG Programs

Blue Colour: No. of papers **Red colour: Credits** **Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses**

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey / Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ – Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	Th-2 (6)	Th-1(4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject